



कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G23

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक- 1000 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.337 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। (प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/38048/2019)

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं0-8बी0/यू0सी0पी/06/42/2020/एफ0सी0/1424 दिनांक 30.09.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विपयंकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 595/12-1(2) दिनांक 30.08.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र	अधिरूपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 -1 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	2 शर्त सं0 -2 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मैं परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिग्रहण कर लिया गया है।
3	प्रतिकूल वनीकरण:- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.754 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम दुनाड़, खसरा सं0 137 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाईन पैरा 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहरी हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन	3 शर्त सं0 - प्रतिपूरक वनीकरण- क)- विभाग द्वारा दुनाड़ सिविल 2.754 है0 सिविल भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। तथा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षों का मिश्रित वृक्षारोपण किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। ख)- प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि गैरवानिकी भूमि को जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने अपने पत्रांक 3095/ग्यारह-09/2022-23 दिनांक 04.01.2023 का वन भूमि हस्तान्तरण एवं नामांतरण किया गया है। जिसके खाता खतौनी प्रेषित की जा रही है। शेष शर्तें विभाग को मान्य है।

	अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	ग)- प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त सं0 -4 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि-9,28,605.00 (नौ लाख अट्ठाईस हजार छः सौ पाँच रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त सं0-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य 5 (क) के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की धनराशि रु0-9,04,689.00 मात्र (नौ लाख चार हजार छः सौ नवासी रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। 5 (ख) के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति हे0 36 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित 36 वृक्षों से से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state II approval as per guidelines para 11.2 Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0-7 प्रकरण में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उपरान्त वृक्षों के छपान कर पातन हेतु वन निगम को दिनांक 02.08.2021 को लौट प्रेषित की गयी है। कार्य शुरू करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किये गये है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं0-8 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फण्ड

		में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त सं0-10 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त सं0-11 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त सं0-12 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सहमत है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-15 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए

		वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त सं0-19 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-20 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त सं0-21 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC ,दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल सं0-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक-29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त सं0-23 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त सं0-24 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0-25 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कियदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य

		सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त सं०-26 के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1806 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्रांक 2140 / 3 सी(व०भू०)

दिनांक 23 / 07 / 2024

सेवा में,

1

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.337 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38048/2019)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं० -8बी०/यू०सी०पी०/06/42/2020/ एफ०सी०/1424 दिनांक-30.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

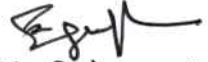
क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं० -1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	2 शर्त सं० -2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	प्रतिकूल वनीकरण:- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.754 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम दुनाड़, खसरा सं० 137 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाईन पैरा 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहन हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	3 शर्त सं० - प्रतिपूरक वनीकरण- क- आपके प्रभाग से सम्बन्धित है। ख- आपके प्रभाग से सम्बन्धित है। ग- आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त सं0-4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि-9,28,605.00 (नौ लाख अट्ठाईस हजार छः सौ पॉच रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त सं0-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य 5 (क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की धनराशि रु0-9,04,689.00 मात्र (नौ लाख चार हजार छः सौ नवासी रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। 5 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 36 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में प्रस्तावित 36 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	DFO will inform Nodal office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before state II approval as per guidelines para 11.2 Nodal will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0-7 आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं0-8 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0-9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।

10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त सं0 -10 आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त सं0-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त सं0-12 के अनुपालन में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सहमत है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त सं0-13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं0-14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-15 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई श्रमिक शिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त सं0-16 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0-18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त सं0-19 के अनुपालन प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-20 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त सं0-21 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0-22 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल सं0-11-42/2017- एफ0सी0 दिनांक-29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त सं0-23 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त सं0-24 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0-25 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त सं0-26 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


 (इ0 विभोर गुप्ता)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० १)

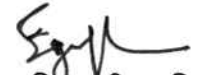
कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना
के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की
विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जाना है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि—9,28,605.00 (नौ लाख अट्ठाईस हजार छः सौ पाँच रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5 क)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु एन०पी०बी० की धनराशि रु०—9,04,689.00 मात्र (नौ लाख चार हजार छः सौ नवासी रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।


अमोल
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5 ख)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 36 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा, पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 7)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जाना है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ८)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,

लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ९)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

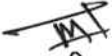

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 10)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 11)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना हेतु संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाने हेतु विभाग सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 12)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना
के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/
एफ०सी०/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 13)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना
के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम—1986 के
प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो
प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 14)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना
के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना
प्रस्ताव का ले-आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 15)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविल विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 16)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०पि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 17)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभि
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

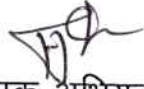
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 18)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

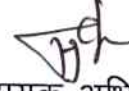
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 19)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 20)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

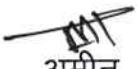


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

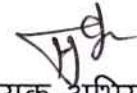
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 21)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित न किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

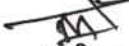

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० २२)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि अधिरोपित किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल सं०-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक-29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 23)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना
के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय
पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 24)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 25)

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 26)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत भैंसियाछाना के नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं०— FP/UK/ROAD/38048/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा